प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए मार्गदर्शी निर्देश

भली–भांति चल रहे ऐसे पाँच बाल भवन/बाल भवन केन्द्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10,00,000/– रुपये (रु. दस लाख) की विशेष अनुदान राशि प्रदान की जाएगी, जो राज्य सरकारों के अंतर्गत नहीं हैं, ताकि वे बच्चों के लिए अपनी गतिविधियों, कार्यक्रमों को पूरा कर सकें और उसके द्वारा उठाई गई कठिनाइयाँ भी दूर हो सकें।

भली–भांति चल रहे ऐसे बाल भवन/बाल केन्द्र पुरस्कार के लिए 'प्रोत्साहन पुरस्कार' का लाभ लेने के इच्छुक बाल भवन/बाल भवन केन्द्र निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली को संलग्न प्रोफार्मा भरकर 'सर्वोत्तम बाल भवन के संकेतक' (अनुबंध के रूप में प्रति संलग्न) भेजकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

प्रोत्साहन पुरस्कार के प्रस्तावों पर उपायुक्त/जिला मस्ट्रिेट/कलैक्टर/निगम आयुक्त/स्कूल शिक्षा के निदेशक/आयुक्त/महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण/पंचायत राज जैसे विभाग के राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा अनुशंसायुक्त एवं अग्रेषित होने चाहिए। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा उनके सरकारी लैटर–हैड पर तथा निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली को सम्बोधित पत्र में सिफारिश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रस्तावों पर कार्यवाही

प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय बाल भवन में विधिवत गठित निम्नलिखित समितियों द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा :

i. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष एक 'जांच समिति' का गठन किया जाएगा। यह 'जांच समिति' अपनी समेकित रिपोर्ट मूल्यांकन समिति को अन्तिम निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगी। इस समेकित रिपोर्ट में दो विभिन्न सूचियां शामिल होंगी, जिसमें निम्न जानकारी दर्शायी जाएगी :–

1. 'पूर्ण औचित्य के साथ प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए अनुशंसित प्रस्ताव'

पात्र पाए गए नए प्रस्तावों को राष्ट्रीय बाल भवन के 'प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए मार्गदर्शी निर्देश' के अनुसार प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए जांचा जाता है।

2. प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए रद्द किए गए प्रस्ताव

(i) यह जाँच समिति राष्ट्रीय बाल भवन की 'सीड मनी संबंधी मार्गदर्शी–निर्देशों (अथवा) प्रोत्साहन पुरस्कार' निर्देशों के अनुसार इन प्रस्तावों की जाँच के पश्चात् बिन्दुवार विस्तृत कारणों को बताएगी कि इन प्रस्तावों को पात्र क्यों नहीं पाया गया है।

(ii) जाँच समिति से प्रस्तावित सिफारिशें मिलने के उपरांत निम्नलिखित अधिकारियों की एक मूल्यांकन समिति प्रोत्साहन पुरस्कार जारी करने के लिए अंतिम सिफारिश करेगी :–

प्रोत्साहन पुरस्कार
जाँच समिति
उप निदेशक(कार्य.सम.एवं अनु.)उ
उप निदेशक(प्रशासन)
सहायक निदेशक(विज्ञान)

मूल्यांकन समिति

क) निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन।

ख) एक मंडल सदस्य (मान्यता प्राप्त बाल भवन का निदेशक)।

ग) राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त बाल भवन से कोई दो निदेशक।

मूल्यांकन समिति प्रोत्साहन पुरस्कार, यथा लाू, यदि कोई हो, जारी करने के लिए अपनी सिफारिशें मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगी और तदुपरांत यह समिति प्रबन्ध मंडल के पास भेजेगी। बाल श्री सम्मान समारोह में यह पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी।

राष्ट्रीय बाल भवन

सर्वोत्तम बाल भवन के चयन के लिए मानदंड

नोट :

1. वित्तीय वर्ष 2014–15 (अप्रैल–मार्च) के लिए बच्चों/संगठन की उपलब्धियां तथा अन्य संगत आंकड़े विचार में लिए जाएंगे।
2. यदि एक ही बच्चा विभिन्न श्रेणी में भाग लेता है, तो केवल उच्चतम उपलब्धि की गणना की जाएगी।
3. सप्ताह में 6 दिन 6–7 घंटे प्रतिदिन चलने वाले बाल भवन ही इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. किसी समय यदि आँकड़ों/तथ्यों में कोई दुर्विनियोजन पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और संस्था को भविष्य में तीन वर्षों के लिए ऐसे पुरस्कार में सहभागिता से वंचित कर दिया जाएगा।
5. सरकार/विख्यात संगठन के माध्यम से दिए गए पुरस्कार/उपलब्धि पर ही विचार किया जाएगा।
6. इस पुरस्कार के लिए न्यूनतम 100 अंक प्राप्त करने वाले बाल भवन पर चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।
7. सरकार द्वारा वित्तपोषित बाल भवनों पर भी इस पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे सम्पूर्ण मानदण्डों को पूरा करते हैं। वे 10 लाख रुपये की बजाए 01 लाख रुपय की पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति पत्र/शील्ड प्राप्त कर सकेंगे।

1(i) बच्चों की वार्षिक उपलब्धि/पुरस्कार/मान्यता

राज्य स्तरीय (ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा) ....(1 अंक)

राष्ट्रीय स्तरीय (ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा) ....(2 अंक)

राज्य स्तरीय (ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा) ....(3 अंक)

(अंकों के लिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता के लिए केवल प्रथम पुरस्कार/स्थान पर विचार किया जाएगा।)

क्र.सं.	नाम	आयु/कक्षा	जिला	गतिविधि	वर्ष	सम्पर्क दूरभाष सं.

(ii) बाल भवन की वार्षिक उपलब्धि / पुरस्कार / मान्यता :

राज्य स्तरीय (ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा) ....(2 अंक)

राष्ट्रीय स्तरीय (ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा) ....(3 अंक)

राज्य स्तरीय (ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा) ....(5 अंक)

क्र.सं.	नाम	जिला	गतिविधि	सम्पर्क दूरभाष सं.

2. बाल भवनो की पहुँच

बाल भवनों की शाखाओं की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	केन्द्र का नाम	समन्वयक का नाम व दूरभाष सं.	इसके अतर्गत बच्चों की सं.	केन्द्र की समयावधि	सप्ताहांत

(बच्चों के प्रत्येक 500 पंजीकरण के लिए 2 अंक दिए जाएंगे)

बाल केन्द्रों की शाखाओं की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	केन्द्र का नाम	समन्वयक का नाम व दूरभाष सं.	इसके अतर्गत बच्चों की सं.	केन्द्र की समयावधि	सप्ताहांत

3. अन्य विभाग / एनजीओ / विद्यालय के साथ सहयोग

क्र.सं.	विभाग / एनजीओ / विद्यालय	परियोजना का नाम

(अनुसमर्थनकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा)

(प्रत्येक सहयोग के लिए 1 अंक दिया जाएगा)

4. आपके बाल भवन का विशेष आकर्षण, जो आपके बाल भवन के अन्य बाल भवनों से भिन्न बताते हैं, प्रत्येक आकर्षण के लिए बिन्दूवार ब्यौरा दें।

5. विशेष विकलांग बच्चो के लिए परियोजना (न्यूनतम छः माह)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	विकलांगता का स्वरूप	प्रदत्त प्रशिक्षण का नाम	लाभान्वित बच्चों की	समन्वयक का नाम तथा

				संख्या	सम्पर्क दूरभाष संख्या

6. प्रकाशन/प्रलेखन बच्चों अथवा प्रशिक्षक से संबंधित होना चाहिए – प्रत्येक प्रकाशन/प्रलेख के लिए 1 अंक

क्र.सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रकाशन का वर्ष	विषय

7. प्रशिक्षण की गुणवत्ता

माड्यूल्स की संख्या

क्र.सं.	पुस्तक का शीर्षक

(प्रत्येक विषय के लिए 2 अंक)

प्रशिक्षक/बच्चों के लिए मूल्यांकन फार्मेट हाँ/नहीं।

(प्रत्येक फार्मेट के लिए 1 अंक)

क्या आपके अपने प्रशिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल हैं? हाँ/नहीं।

(प्रत्येक माड्यूल के लिए 1 अंक)

(अनुसमर्थनकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे)

8. बच्चों के सामाजिक परिवेश के विकास हे संचालित कोई परियोजना

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रक्रिया	लाभान्वित बच्चों की संख्या	परिणाम का महीना	इसके अंतर्गत जिले/ब्लाकों की संख्या

(प्रत्येक परियोजना के लिए 2 अंक)

9. संरचना

गतिविधि के लिए स्थान	हाँ / नहीं	
क्रीडा स्थल	हाँ / नहीं	
शौचालय (लड़की / लड़के)	हाँ / नहीं	
पुस्तकालय पुस्तकों की न्यूनतम संख्या 500 होनी चाहिए	हाँ / नहीं	

(प्रत्येक संरचना के लिए 1 अंक मिलेगा)